सेवा में,

माननीय रजिस्ट्रार जनरल,

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

लखनऊ।

विषयः– विद्वान अपर जिला जज श्री रवि कुमार दिवाकर को सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर एवं विनम्र अनुरोध है कि मुकदमा अपराध संख्या–06/2024 अंतर्गत धारा–115, 153A, 506 भा०दं०सं० व धारा–13 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम थाना–ए०टी०एस० गोमतीनगर, लखनऊ के प्रकरण में अभियुक्त अदनान खान पुत्र गुलफाम मियाँ निवासी– नबी बाग, भोपाल, मध्यप्रदेश के विरुद्ध वादी मुकदमा उ०नि० प्रभाकर ओझा द्वारा नामजद रिपोर्ट इस आशय की दर्ज की गई है कि "सहयोग एजेन्सी से आसूचना प्राप्त हुई कि अदनान खान पुत्र गुलफाम मियाँ निवासी नबी बाग, भोपाल, मध्य प्रदेश, जो कि इंस्टाग्राम एकाउन्ट @based.khilji नाम से चला रहा है, जिसके द्वारा इसी इंस्टाग्राम एकाउन्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमें में सुनवायी कर रहे माननीय न्यायाधीश श्री रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी गयी है कि जिसमें अदनान उपरोक्त के द्वारा इंस्टाग्राम एकाउन्ट पर माननीय न्यायाधीश की फोटो लगाकर पोस्ट किया गया THE KAFIRS BLOOD IS HALAL FOR YOU THOSE WHO FIGHT AGAINST YOUR DEEN तथा उनके फेस पर आँखों के ऊपर लाल रंग में KAFIR लिखा गया है। इस पोस्ट को काफी लोगों द्वारा देखा गया है तथा इस पोस्ट के द्वारा अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों को ज्ञानवापी मामले की सुनवायी कर रहे न्यायाधीश को मारने के लिए दुष्प्रेरित किया गया है तथा उक्त पोस्ट से दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने व वर्गों के बीच वैमनस्यता व विद्वेष फैलाने व राष्ट्र विरोधी कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जिससे उक्त अदनान द्वारा भारत जैसे प्रजातान्त्रिक राष्ट्र व उसकी संवैधानिक व्यवस्था का मूल अंग न्यायपालिका के प्रति धार्मिक आधार पर अविश्वास व द्रोह उत्पन्न किया जा रहा है। यदि अदनान उपरोक्त के उक्त कृत्यों पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अतः आपसे अनुरोध है कि अदनान उपरोक्त के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।"

इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा अभी तक की विवेचना से यह तथ्य सामने आ रहा है कि विद्वान अपर जिला जज, श्री रवि कुमार दिवाकर को इस्लामिक कट्टरपंथी शक्तियों के द्वारा काफिर घोषित कर उनकी हत्या करने का षडयंत्र रचा जा रहा है जो अत्यन्त संवेदनशील प्रकरण है। अभियुक्त दिनांक–14.06.2024 से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर था। दौरान पुलिस अभिरक्षा अभियुक्त की निशानदेही पर दो मोबाईल फोन व एक पेन ड्राइव बरामद किया गया है तथा विवेचना अभी प्रचलित है।

अतः माननीय महोदय को उक्त सूचना इस सद्भावनापूर्ण आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित विद्वान न्यायाधीश श्री रवि कुमार दिवाकर की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक–20.06.2024

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एन०आई०ए०/
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।
जे०ओ०कोड–यू०पी० 6127